तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **बलवन्ताराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार औसियां)** सू.अ.अ. अपील संख्या 249/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-08-2022	अपीलार्थी बलवन्ताराम पुत्र बरसींगाराम विश्नोई, पता ग्राम सामराउ, तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2022 में (1) तहसीलदार औसियां द्वारा कमांक:RJ/2017 राजस्व विभाग/मूल निवास प्रमाण–पत्र/22434141911, श्रीमती सरिता पत्नी मांगीलाल निवासी हरिनगर, सामराउ तहसील औसियां जिला जोधपुर दिनांक 8.4.22 को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसिया) से जरिये पत्रांक 313 दिनांक 29.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना् से दस्तावेज सरिता पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी हरिनगर, सामराउ को जारी मूल निवास संबंधित है इस संबंध में प्रार्थीया सरिता ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने मूल निवास आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिये जाने का निवेदन किया गया अतः उक्त दस्तावेज तृतीय पक्षकार से संबंधित होने व तृतीय पक्षकार द्वारा दस्तावेज दिये जाने से इन्कार करने के दस्तावेज की प्रतियां नहीं दी गई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि सूचना अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया कि 'इस संबंध में लेख है कि उक्त प्रमाण पत्र आपका न होकर तृतीय पक्षकार से संबंधित होने व तृतीय पक्षकार सरिता पत्नी मांगीलाल द्वारा उक्त दस्तावेज न दिये जाने तथा निजता की रक्षा की मांग करते हुए स्वयं के दस्तावेज दूसरे व्यक्तियों को न दिए जाने की मांग की है' अतः उक्त पत्रावली की प्रति नहीं दी जा सकती है। आगे बतलाया कि ग्राम सामराउ के राजस्व ग्राम हरिनगर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत साहिका के पद पर नियुक्तियां करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी विज्ञप्ति में स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति देने में वेटेज किया गया था तथा सरिता द्वारा झूठे व फजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर झूठे आधारों पर दस्तावेज प्राप्त कर फर्जी मूल निवास प्राप्त किया ऐसी स्थिति में कानून द्वारा निजता का अधिकार भंग नही हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा तहसीलदार औसियां द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज की सूचना चाही गई है तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन पत्र एवं जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के दस्तावेज तृतीय पक्षकार से संबंधित नहीं होकर सरकारी दस्तावेज है अतः अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा लगातार........	

चाहे गये मूल निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेज में आवेदन पत्र व जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति की प्रमाणित प्रति 15 दिवस में उालब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।